कार्यालय, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय,अम्बेडकरनगर।

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर के स्वामित्व वाले 18 न्यायिक अधिकारीगण आवासों में अधोलिखित कार्यों हेतु सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती है:-

01- सोकपिट/सेप्टिक टैंक की सफाई की दर जी.एस.टी. सहित।

02- पानी की टंकी की सफाई की दर जी.एस.टी. सहित।

03- प्लंबिग के कार्य हेतु लेबर कॉस्ट प्रतिदिन अथवा कार्य के आधार पर जी.एस.टी. सहित।

04- राजमिस्त्री के कार्य हेतु लेबर कॉस्ट प्रतिदिन अथवा कार्य के आधार पर जी.एस.टी. सहित।

05- दरवाजे एवं खिड़की के कार्य हेतु बढ़ई की लेबर कॉस्ट प्रतिदिन अथवा कार्य के आधार पर जी.एस.टी. सहित।

06- इलेक्ट्रिकल बोर्ड/स्विच-सॉकेट के कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन की लेबर कॉस्ट प्रतिदिन अथवा कार्य के आधार पर जी.ए.टी. सहित।

07- टाइल्स एवं स्टोन के कार्य हेतु मिस्त्री की लेबर कॉस्ट प्रतिदिन अथवा कार्य के आधार पर जी.ए.टी. सहित।

इत्यादि के अतिरिक्त आवासों में सूक्ष्म मरम्मत हेतु लेबर कॉस्ट प्रतिदिन अथवा कार्य के आधार पर जी .ए.टी. सहित। नियम-शर्तो व अन्य जानकारी के लिये जनपद न्यायालय , अम्बेडकरनगर की वेब साइट https://ambedkarnagar. dcourts.gov.in पर जायें।

इच्छुक संस्था/व्यक्ति **सीलबन्द निविदा** केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में दिनांक-07.08.2025 तक सायं 05 बजे तक प्राप्त करा सकते हैं अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। उक्त प्राप्त निविदाएं दिनांक -08.08.2025 को समय सायं 04:30 बजे निविदा दाताओं की उपस्थिति में जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर के सभागार कक्ष में नीलामी समिति, जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर की उपस्थिति में खोले जायेंगे। निविदा खुलने के समय निविदा दाताओं का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर के नजारत अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा कार्य हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में ही मान्य होगी तथा संबंधित निविदाकर्ता का पूर्ण विवरण लिफाफे पर उल्लिखित होना चाहिए।
2. निविदा, निविदा-दाताओं की उपस्थिति में नियत तिथि, जगह व समय पर समिति द्वारा खोली जायेगी।
3. सफल निविदा-दाता की निविदा स्वीकार होने के उपरान्त उसे पूरे वित्तीय वर्ष 31.03.2026 तक कार्य व सेवाएँ देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दशा में पूरे वित्तीय वर्ष निविदा में उल्लिखित दर में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

4. कार्य संतोषजनक ना पाये जाने अथवा कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सफल निविदा-दाता की निविदा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

4. निविदा में नियमानुसार जी.एस.टी. की दरें सम्मिलित होनी चाहिए तथा उसका भुगतान निविदा-दाता द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रति बतौर साक्ष्य नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

मोहन कुमार

दिनांक:31.07.2025

अध्यक्ष, 31/7/2025
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश,पॉक्सो-एक्ट
जनपद न्यायालय,अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर के मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. नगर पालिका परिषद, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. कार्यालय जिला पंचायत, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. कार्यालय जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
7. तहसील अकबरपुर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
8. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. किसी एक समाचार पत्र में प्रकाशन किये जाने हेतु
10. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व जनपद न्यायालय के पोर्टल/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मोहन कुमार

अध्यक्ष, 31/7/2025

नीलामी समिति/

विशेष न्यायाधीश,पॉक्सो-एक्ट

जनपद न्यायालय,अम्बेडकरनगर।